(54)

संख्या–6 / सा0सु0बी0एल0–305 / 2009– 468
झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

सैयद अब्दुल राजिक,
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग।

राँची, दिनांक– 5.11.09.

विषय :– एक विमुक्त बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए राशि की आवश्यकता।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-XIV-3/09/707 / सा0सु0 दिनांक 22.09.2009 के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्क्रीनिंग कमिटी की कार्यवाही से यह स्पष्ट नहीं होता है कि श्री गणेश यादव, पिता श्री प्रयाग यादव, ग्राम–डांटो, थाना–कटकमसाण्डी, जिला–हजारीबाग बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आते है या बाल बंधुआ मजदूर के श्रेणी में।

अतः अनुरोध है कि विमुक्त बाल / बंधुआ मजदूर पुनर्वास के संबंध में विमुक्त बंधुआ मजदूर की स्थायी पता, जाति का नाम एवं उसका उम्र अंकित कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि स्पष्ट हो सके कि विमुक्त मजदूर बाल मजदूर है या बंधुआ मजदूर। तत्पश्चात ही पुनर्वास हेतु राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

4/11/2009

(सैयद अब्दुल राजिक)
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा,
झारखण्ड, राँची।